

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
( नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम


चित्तौड़गढ़ ( राज.)

अपना

बनाम

रमेशचन्द्र

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 165/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8.5.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>अपना</u></p> <p>पति पित्त श्री <u>शीतल जी नुन्दा</u></p> <p>निवासी <u>बरनी (बरनी) (08)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>बरनी</u> (चित्तौड़गढ़) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>2487</u></p> <p>कुल कीता <u>1</u> कुल रकबा <u>0.7000</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>बरनी</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>2487</u></p> <p>कुल कीता <u>1</u> रकबा <u>0.7000</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500</u> रूपये अक्षर <u>पांचसौ रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> (बिन्दु देवन) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>